रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED NO. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 1982/वैसाख 11, 1904
No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1982/VAISAKHA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1982

का० आ० 295(अ)—"दल खालसा" के नाम से ज्ञात संगठन—

(i) जिसने एक संपूर्ण स्वायत्त "खालसा राज्य" स्थापित करना अपना मुख्य उद्देश्य घोषित किया था, अपने उद्देश्य के अनुसरण में भारत के एक भाग को विलग करने और अपने उग्रवादियों के माध्यम से संघ की राज्यक्षेत्रीय अखंडता को विध्वंस करने का प्रचार करता रहा है।

(ii) उपरोक्त उद्देश्य के अनुसरण में 29 नवम्बर, 1981 को इंडियन एयरलाइन्स के एक विमान का अपहरण करके लाहौर ले जाने के लिए और अन्य बातों के साथ साथ, भारत सरकार द्वारा एक अलग सिख राज्य जिसे "खालिस्तान" कहा जाएगा, को स्वीकार किए जाने की मांग करने के लिए "दल खालसा" के पांच सदस्यों को नियोजित किया था।

(iii) 26 अप्रैल, 1982 को अमृतसर में हुई अपविध्वंसकारी घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए जब गायों के कटे हुए दो सिर हिन्दू मंदिरों के पास रखे पाए गए थे और ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति की धमकी देकर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच लोक व्यवस्था और मेल-मिलाप बनाए रखने के प्रतिकूल क्रियाकलाप जारी रखने का अपना आशय स्पष्ट कर दिया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि पूर्वोक्त कारणों से "दल खालसा" एक विधिविरुद्ध संगम है,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि आतंक और हिंसा के कार्यों और "दल खालसा" के सदस्यों द्वारा हाल ही में किए गए अपविध्वंसकारी कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के कारण "दल खालसा" को तुरन्त विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

अतः केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दल खालसा" को एक विधि-विरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि यह अधिसूचना उस आदेश के, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दिया जा सकता है, अधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा० सं० 4/19/81-डी]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st May, 1982

S.O. 295(E).—Whereas the organisation known as 'Dal Khalsa'—

(i) which had declared as its main objective the establishment of a complete autonomous 'Khalsa State' has, in pursuance of its objective, been preaching secession and disruption of the territorial integrity of India through its activities;

(ii) had in furtherence of the aforesaid objective, employed five of the members of the 'Dal Khalsa' to hijack an aircraft of the Indian Airlines to

Lahore on 29th September, 1981 and to demand inter-alia the acceptance by the Government of India, of the establishment of a separate Sikh State to be called, Khalistan ;

(iii) has by owning up responsibility for the incidents which took place in Amritsar on the 26th April, 1982 when two severed heads of cows were found placed near Hindu temples, followed by its threat to repeat such incidents in future, made clear its intention to continue to resort to activities prejudicial to the maintenance of public order and harmony between different religious groups ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the 'Dal Khalsa' is an unlawful association ;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that because of the acts of terrorism and violence and the recent acts of sacrilege owned by members of 'Dal Khalsa' it is necessary to declare the 'Dal Khalsa' to be unlawful with immediate effect ;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the 'Dal Khalsa' to be an unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4/19/81-T]

का० आ० 296(अ)—'नेशनल काउन्सिल आफ खालिस्तान' (जिसे इसमें इसके पश्चात् काउन्सिल कहा गया है) के नाम से ज्ञात संगठन—

(i) जिसने उसके महासचिव, दलबीर सिंह संधू के माध्यम से एक स्वायत्त, अलग सिख राज्य "खालिस्तान" की स्थापना करना अपना उद्देश्य उद्घोषित किया था, "दल खालसा" नाम से ज्ञात संगठन के विलगकारी और हिंसात्मक क्रियाकलापों का प्रोत्साहन करता रहा है;

(ii) पूर्वोक्त उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए—

(क) तथाकथित "खालिस्तान" गणराज्य के पांच डालर के करेंसी नोट;

(ख) खालिस्तान के डाक महसूल स्टाम्प और

(ग) तथाकथित खालिस्तान सरकार के पासपोर्ट जारी करके विलगकारी क्रियाकलाप में लगा हुआ था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि पूर्वोक्त कारणों से काउन्सिल एक विधिविरुद्ध संगम है,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए काउन्सिल द्वारा दल खालसा को प्रोत्साहन देने के कारण काउन्सिल को तुरन्त विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

अब केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'नेशनल काउन्सिल आफ खालिस्तान' को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उक्त धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना उस आदेश के, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दिया जा सकता है अधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा०सं० 4/19/81-टी]
जी० एस० ग्रेवाल, संयुक्त सचिव

S.O. 296(E).—Whereas the organisation known as 'the National Council of Khalistan' (hereinafter referred to as the Council) :—

(i) which had through the declaration of Shri Balbir Singh Sandhu, its Secretary General, proclaimed as its objective the establishment of an autonomous, separate Sikh State of 'Khalistan' has been encouraging the secessionist and violent activities of the organisation known as 'Dal Khalsa' ;

(ii) had, in furtherance of the aforesaid objective, indulged in secessionist activity by issuing—

(a) five dollar currency Notes of the so-called Republic of 'Khalistan' ;

(b) postage stamps of 'Khalistan' ; and

(c) pass-ports of the so-called Government of 'Khalistan' ;

And whereas, the Central Government is of opinion that for the reasons aforesaid, the Council is an unlawful association ;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that because of the encouragement being given to the 'Dal Khalsa' by the Council for the furtherance of its objective it is necessary to declare the Council to be unlawful with immediate effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares 'the National Council of Khalistan' to be an unlawful association and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4/19/81-T]
G. S. GREWAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982